आदेश	कार्यवाही विवरण	
पा/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी को बार-बार रुक-रुक कर आवाज लगाई गई परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय नहीं आये। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने वाद में कोई रुचि नहीं है। अतः वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफ़ियत शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील आइंदा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.) नवलगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:34:30 IST
Reason: SelfAttested